



संतकबीरनगर पुलिस



जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 29.07.2022

आज दिनांक 29.07.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 208 / 2022 धारा 363 / 366 / 376 भादवि व 5 / 6 पाक्सो एक्ट से संबंधित वाँछित अभियुक्त नाम पता अरबाज पुत्र मो0 कबीर निवासी मैलानखुर्द थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को पिपरा बोरिंग तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री बृजमोहन सिंह, हे0कां0 इन्द्रजीत यादव, हे0कां0 मिथिलेश्वर चौधरी, कां0 मुकेश यादव ।





संतकबीरनगर पुलिस



शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1492 द्वारा मार्ग दुर्घटना मे घायल महिला को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत धनघटा से इवेन्ट संख्या 02419 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 01 महिला के घायल होने के संबंध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 01 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल महिला को सीएचसी मलौली पहुंचाया गया तथा दुर्घटना के संबंध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुई महिला को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 रविन्द्र यादव, आ0 शनि कुमार गौड़, हो0चा0 राजेश कुमार ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 65 वाहनो से 49,000 रु0 सम्मन वसूल किया गया

आज दिनांक 29.07.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 65 वाहनो से 49,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया ।